

# न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(सुबे सिंह यादव, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

119/2018  
18.12.2017

नीमचंद पुत्र मडीलाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुराकंला तहसील उनियारा जिला टोंक राज०

—अपीलान्त

बनाम

नायब तहसीलदार बनेठा जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 24.10.2017. धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री विक्रम जैन, अभिभाषक अपीलान्त  
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 24.01.2018

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने आदेश दिनांक 24.10.2017 के द्वारा अपीलान्त को भूमि खसरा नम्बर 191 रकबा 0.05 है० किस्म बा-2 वाके ग्राम ज्ञानपुरा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्त ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांत को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और न ही साक्ष्य सबूत का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलांत की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अपीलांत द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है और ना ही अपीलांत ने अतिक्रमण कर फसल काश्त की है। पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवश अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो मौके की वास्तविक स्थिति के काफी विपरित है। पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके की जांच किये ही रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलांत का ग्राम ज्ञानपुरा तहसील उनियारा की किसी भी भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। अपीलांत पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्पीकिंग आदेश भी जारी नहीं किया गया है। अपीलान्त ने कब्जा हटाने व भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत शपथ पत्र पेश

जिला कलेक्टर  
टोंक

किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलान्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अतिक्रमी बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष में साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था। अपीलान्ट द्वारा ग्राम ज्ञानपुरा के खसरा नम्बर 191 रकबा 0.5 है० किरम बा-2 भूमि पर उडद की फसल काशत कर अतिक्रमण किया है जो पटवारी हल्का के बयान से सिद्ध है। अपीलान्ट ने शपथ पत्र पेश किया है कि मेने उक्त भूमि पर से कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करूँगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.10.2017 द्वारा अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा शास्ती राजकोष में जमा करादी है तथा अपीलान्ट ने अतिक्रमित भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया है। नायब तहसीलदार बनेठा यह सुनिश्चित करले की अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलान्ट अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबे सिंह यादव)  
जिला कलेक्टर, टोंक  
टोंक